इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2019—आषाढ़ 18 शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. 8789-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) की धारा १५ में, उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(छह) मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य से राज्यसभा का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(दो) खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनधि;";

(तीन) खण्ड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तेरह) ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(चार) खण्ड (पंद्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

"(पन्द्रह) महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन);";

(पांच) खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (बाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(बीस) भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक पांच प्रसार वाले समाचार पत्रों में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(इक्कीस) भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(बाईस) अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;";

(छह) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पच्चीस) मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(सात) खण्ड (सत्ताईस), (अट्ठाईस) और (उनतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(सत्ताईस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ:—

(क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार;

(ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ;

(ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(अट्ठाईस) दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(उनतीस) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) २८ वर्षों से लागू है. उपरोक्त अधिनियम की धारा १५ में विश्वविद्यालय की महापरिषद् के गठन का प्रावधान उपबंधित है. महापरिषद् अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनी है. महापरिषद् विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है.

२. अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया है. कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा १५ के कतिपय उपबंधों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ५ जुलाई, २०१९

पी. सी. शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.